

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

विज्ञापन संख्या- 13-परीक्षा/2024

आशुलिपिक मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/13

विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि- 02-12-2024

ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि- 26-12-2024

ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा /आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि- 25-01-2025

शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि- 01-02-2025

विशेष कथन- उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25-01-2025 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन/शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा, जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 25-01-2025 तक अथवा उसके पश्चात विलम्बतम 07 दिवस के अन्दर अर्थात् दिनांक 01-02-2025 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या-13-परीक्षा/2024, आशुलिपिक मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/13 के अंतर्गत के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन आशुलिपिक के कुल रिक्त 661 {608 (सामान्य चयन) + 53 (विशेष चयन)} पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

आशुलिपिक मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/13 हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 (Preliminary Eligibility Test-PET-2023) के स्कोर के आधार पर की जाएगी, अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 (Preliminary Eligibility Test- PET-2023) में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड (वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ) जारी किया गया है। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में वास्तविक (Absolute) स्कोर अथवा नार्मलाइज्ड स्कोर में शून्य या उससे कम / नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन (Under Investigation-UI) व औपबन्धिक (Provisional) श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबन्धिक रूप से अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम / निर्णय के अधीन होगी।

1- ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना- इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली (Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।







2- आवेदन की प्रक्रिया-

अभ्यर्थी, आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के Homepage पर Live Advertisement Segment के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को Download/View कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा-निर्देश नीचे दिये जा रहे हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) को सावधानीपूर्वक पढ़कर भलीभांति समझ लें।

- 2.1- अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।
- 2.2- अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि (25-01-2025) तक सम्बन्धित आवश्यक अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हता/ अर्हताएं तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र धारित (Acquire/ Possess) करना अनिवार्य है।
- 2.3- आरक्षण / आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा।
- 2.4- जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2024 से 25-01-2025 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। (कृपया विज्ञापन के प्रस्तर 11.14 का अवलोकन करने का कष्ट करें)।
- 2.5- विज्ञापित पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है।

आवेदन प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश

2.6- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण/ लॉगिन (Applicant Authentication/Login Through PET Registration Number)- अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 (Preliminary Eligibility Test-PET-2023) के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु दो विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं-

I. व्यक्तिगत विवरण के साथ (Through Personal Details)- अभ्यर्थी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण (Domicile) व श्रेणी (Category) सम्बन्धी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं।

(Signature)

- II. ओटीपी के माध्यम से (Through O.T.P.)- अभ्यर्थी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ ईमेल पर प्रेषित किये गये O.T.P. के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।

2.7 आवेदन (Application)-

- I. लॉगिन करने के उपरान्त इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में दर्ज की गयी अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे- नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण, श्रेणी, EWS, शैक्षणिक आरक्षण से संबन्धित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे।
- II. इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) से सम्बन्धित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में Yes/No विकल्प का चयन करने के उपरान्त बोर्ड/संस्था/ विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट/ रोल नं०, अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक सम्बन्धी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा।
- III. अभ्यर्थी को उपर्युक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर “Enter Verification Code” में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करने के पश्चात “सबमिट” बटन पर क्लिक करना होगा। फॉर्म सबमिट होते ही “अभ्यर्थी का आवेदन पत्र” प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नम्बर सहित अन्य विवरण होगा। अभ्यर्थी इसकी एक प्रति मुद्रित कर अपने पास सुरक्षित रखें, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना होगा।

2.8 फोटो तथा हस्ताक्षर (Photo and Signature)- इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में अपलोड की गयी फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी, फोटो तथा हस्ताक्षर View करने के उपरान्त “Continue” बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जायेंगे।

2.9 अन्य विवरण (Other Details)- इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) के संबंध में Yes/ No में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा।

घोषणा (Declaration)

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा है कि घोषणापत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा-पत्र से सहमत हो तो सभी बिन्दुओं को Tick करते हुए नीचे दिये गये वेरिफिकेशन कोड को दर्ज कर Save & Proceed करें।

अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में दर्ज विवरण तथा इस आवेदन के समय अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता सम्बन्धी अंकित की गयी समस्त प्रविष्टियों/ विवरणों को प्रीव्यू (Preview) पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। सहमति की दशा में अभ्यर्थी द्वारा Proceed to Payment of Fee & Final Submission पर क्लिक कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी।

Chivale

9

Y

2.10- फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment and Reconciliation & Application Form Submission)

I- अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit card/Debit card/ Internet Banking/ UPI या SBI के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये तत्काल कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता। शुल्क का सफल भुगतान होते ही Payment Acknowledgment Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें Payment का विवरण अंकित होगा। इसी पृष्ठ पर नीचे की ओर दाहिनी तरफ Proceed For Final Submission बटन प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से Proceed For Final Submission बटन क्लिक करते हुए अपने आवेदन को अन्तिम रूप से Submit करना होगा। अभ्यर्थी Proceed For Final Submission बटन को क्लिक करने के उपरान्त ही अपने आवेदन का Printout ले सकते हैं।

II- यदि अभ्यर्थी द्वारा Credit card/Debit card/ Internet Banking/ UPI द्वारा निर्धारित शुल्क का सफल भुगतान किया जा चुका है, परन्तु शुल्क का समायोजन न हो पाने के कारण अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसे अभ्यर्थी सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए आयोग की वेबसाइट के Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए विकल्प "Update Your Transaction ID by Double Verification" पर जाकर लॉगिन करेंगे एवं Verify Transaction ID बटन को क्लिक करेंगे। Verify Transaction ID बटन को क्लिक करने के उपरान्त Payment Acknowledgment Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें Payment का विवरण अंकित होगा। इसी पृष्ठ पर नीचे की ओर दाहिनी तरफ Proceed For Final Submission बटन प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से Proceed For Final Submission बटन क्लिक करते हुए अपने आवेदन को अन्तिम रूप से Submit करना होगा। अभ्यर्थी Proceed For Final Submission बटन को क्लिक करने के उपरान्त ही अपने आवेदन का Printout ले सकते हैं।

III- ई-चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई-चालान download कर SBI की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा Applicant Segment के अंतर्गत Update Your Transaction ID by Double Verification Mode के माध्यम से ई-चालान का विवरण भर कर शुल्क का समायोजन किया जाएगा।

IV- अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अपने शुल्क का समायोजन कर अपने आवेदन पत्र का Printout अवश्य निकाल लें। निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन का Printout नहीं लिया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के सफल भुगतान एवं समायोजन के उपरान्त ही आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट किया जा सकेगा।

V- यदि किसी तकनीकी समस्या व अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पा रहे हैं तो वह सर्वप्रथम सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए आयोग की वेबसाइट के Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए विकल्प "Update Your Transaction ID by Double Verification" पर जाकर Verify Transaction ID बटन को क्लिक करेंगे। तदुपरान्त आयोग की वेबसाइट के Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए Application Fee Deposition विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।







VI. अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त के अतिरिक्त Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Applicant's Dashboard पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

VII. अभ्यर्थी Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Applicant's Dashboard पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। शुल्क का स्टेटस Pending होने पर अभ्यर्थी Applicant Segment के अंतर्गत Update Your Transaction ID by Double Verification Mode के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं।

VIII - अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पायेंगे और न ही अपना आवेदन अन्तिम रूप से सबमिट कर सकेंगे।

IX. आवेदन शुल्क - अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दी गयी तालिका में अंकित है। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये जाने की दशा में शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा, जिसका भुगतान मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाना होगा।

क्र. सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	शुल्क योग (आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क)
1	अनारक्षित	00	25.00	25.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	25.00	25.00
3	अनुसूचित जाति	00	25.00	25.00
4	अनुसूचित जनजाति	00	25.00	25.00

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।
- मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क (जैसा कि आयोग/शासन द्वारा निर्धारित किया जाए) का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा।

2.11- फार्म का प्रिंटआउट लेना (Print Application Form)- अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शुल्क जमा करने के उपरान्त अपना आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट करते हुए उसका प्रिंट आउट अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थी Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Applicant's Dashboard पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन कर अपना आवेदन पत्र प्रिंट कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा/परीक्षण के समय इस फार्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

जैसा कि विज्ञापन के प्रस्तर-2.10 (II) में स्पष्ट किया जा चुका है, यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के Homepage पर जाकर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए लिंक "Update Your Transaction ID by Double Verification" पर क्लिक कर शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने शुल्क का समायोजन कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त कर सकते हैं।

(Signature)

3- आवेदन पत्र में संशोधन

- I. अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट के होमपेज पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Applicant's Dashboard पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरान्त अभ्यर्थी को संबंधित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित **Modify Application** बटन पर क्लिक कर वेरीफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। तदुपरान्त अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ Email पर एक OTP (One Time Password) जायेगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फॉर्म प्रदर्शित होगा।
- II. अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी-
- नाम में वर्तनी की गलती।
 - पिता/ पति के नाम में वर्तनी की गलती।
 - पत्राचार का पता।
 - अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे- E.W.S. एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी (D.F.F, Ex. Service Man, P.H., उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि)।
 - जाति की श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)।
 - लिंग (जेन्डर)।
 - आवेदन में अनिवार्य/अधिमान्य अर्हता सम्बन्धी दर्ज किया गया विवरण।

विशेष नोट- उत्तर प्रदेश शासन के दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99 टी0सी0, दिनांक 30-07-2021, शासनादेश संख्या-02/2022/1/246279/2022/File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022 एवं शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58/2022, दिनांक 30-09-2024 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह-क, ख, ग एवं घ में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है। उक्त के क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र में दिव्यांगता की श्रेणी/उपश्रेणी को चिन्हांकित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य है।

III. आवेदन पत्र में अनुमन्य संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 01-02-2025 तक ही किया जा सकता है। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/ संशोधन हेतु पृथक से कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4- पदों का विवरण-

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1/2020/1602/47-का-3-2019-13/7/2006, दिनांक 28-01-2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/ उपलब्ध कराये जाने वाले अध्याचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित विभाग की है।

(Signature)

8

इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पद की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/ उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अध्याचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है।

सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के क्षैतिज व लम्बवत आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों / नियमों/ शासनादेशों में निर्धारित /नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन /परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है।

सारिणी-1

कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लम्बवत आरक्षण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैंड/ ग्रेड-पे	अध्याचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	
1	राज्य कर आयुक्त कार्यालय	आशुतिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम)- 29200, वेतनमान (अधिकतम)- 92300 वेतन बैंड रु 5200-20200, ग्रेड वेतन रु 2800/-	117	32	10	01	17	177	स्थायी
2	उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर	आशुतिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम)- 29200, वेतनमान (अधिकतम)- 92300	52	27	02	36	13	130	स्थायी
3	खाद्य एवं रसद विभाग (आपूर्ति शाखा)	आशुतिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम)- 5200, वेतनमान (अधिकतम)- 20200	25	13	01	09	05	53	स्थायी
4	खाद्य एवं रसद विभाग (विपणन शाखा)	आशुतिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम)- 5200, वेतनमान (अधिकतम)- 20200 वेतन बैंड 1, ग्रेड पे: 2800	13	07	00	09	03	32	स्थायी
5	ग्रामीण अभिव्यंजन विभाग निदेशालय	आशुतिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200, वेतन बैंड: 1 ग्रेड-पे: 2800	12	05	00	08	02	27	स्थायी
6	लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश	आशुतिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	05	03	00	03	01	12	स्थायी व अस्थायी

(Signature)

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैण्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	
7	निदेशालय उद्यान एवं खात प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम)- 29200, वेतनमान (अधिकतम)- 92300 (ग्रेड वेतन स्ल 2800)	06	02	00	02	01	11	स्थायी
8	राजकीय महाविद्यालय/ राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय/ क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	05	02	00	03	01	11	स्थायी
9	मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	04	01	00	04	01	10	स्थायी
10	राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम)- 29200, वेतनमान (अधिकतम)- 92300	04	03	00	02	01	10	स्थायी
11	अभिगोवन निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	04	03	01	01	01	10	अस्थायी
12	नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	06	01	00	02	00	09	स्थायी व अस्थायी
13	भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	लेवल-5 वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300, 5200-20200, ग्रेड-पे- 2800	04	02	00	02	00	08	स्थायी
14	निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय	आशुलिपिक	लेवल-5 वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200, ग्रेड-पे- 2800	04	02	00	02	00	08	स्थायी व अस्थायी
15	महिला कल्याण निदेशालय	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम)- 29200, वेतनमान (अधिकतम)- 92300	05	02	00	00	00	07	स्थायी व अस्थायी

(Signature)

8

X

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैंड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	
16	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200 ग्रेड पे-2800	04	00	00	03	00	07	स्थायी
17	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	आशुलिपिक (मुख्यालय)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200	03	01	00	02	00	06	स्थायी
18	उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज	आशुलिपिक (मुख्यालय)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	03	01	00	02	00	06	स्थायी
19	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम)- 29200, वेतनमान (अधिकतम) -92300 वेतन बैंड- 1, ग्रेड पे 2800/-	03	01	00	01	00	05	स्थायी
20	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 वेतन बैंड- 1, 5200- 20200, ग्रेड- पे 2800	03	01	00	01	00	05	स्थायी
21	महाराजा सुहेल देव रान्य विश्वविद्यालय, आज़मगढ़	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200, ग्रेड-पे:2800	03	01	00	01	00	05	अस्थायी
22	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200, ग्रेड-पे:2800	04	00	00	01	00	05	स्थायी
23	पशुपालन निदेशालय	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300,	02	01	00	01	00	04	स्थायी
24	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200, वेतन बैंड: 1 ग्रेड-पे: 2800	02	01	00	01	00	04	स्थायी

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैंड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अस्थायी/ अस्थायी
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	
25	मूल्यंकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम)- 29200, वेतनमान (अधिकतम) - 92300 वेतन बैंड-1, वेतन घान रु0 5200/- 20200, ग्रेड- पे रु0 2800	02	01	00	01	00	04	स्थायी
26	रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम) : 92300	02	01	00	01	00	04	स्थायी/ अस्थायी
27	स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन (पूर्वी)	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम) : 20200	02	01	00	01	00	04	स्थायी
28	निदेशालय कोषागार, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम) : 92300	02	01	00	00	00	03	स्थायी
29	मत्स्य निदेशालय	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम)- 29200, वेतनमान (अधिकतम) -92300 वेतन बैंड रु0 5200- 20200, ग्रेड वेतन रु0 2800/-	02	00	00	01	00	03	स्थायी
30	जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम) : 92300	01	00	00	01	00	02	अस्थायी
31	विधिक माप विज्ञान विभाग	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम) : 92300	01	01	00	00	00	02	अस्थायी
32	वित्तीय योजना और संसाधन निदेशालय	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम) : 92300	01	01	00	00	00	02	स्थायी
33	निदेशालय जनजाति विकास, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम)- 29200, वेतनमान (अधिकतम) -92300	01	01	00	00	00	02	अस्थायी

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैंड/ ग्रेड-पे	अध्यापित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	
34	पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200 ग्रेड-पे: 2800/-	01	01	00	00	00	02	स्थायी
35	संस्कृति निदेशालय	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	01	00	00	00	02	स्थायी
36	प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भण्ड्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200, वेतन बैंड: 1 ग्रेड-पे: 2800	01	00	00	01	00	02	अस्थायी
37	भूतत्व एवं खनिक्य विभाग	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	01	00	00	00	02	स्थायी
38	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	00	00	01	00	02	स्थायी
39	सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	01	00	00	00	02	स्थायी
40	अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200	01	00	00	00	00	01	स्थायी
41	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	00	00	00	00	01	स्थायी
42	सर्वे कमिश्नर कार्यालय, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	00	00	00	00	01	स्थायी
43	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	00	00	00	00	01	स्थायी

(अध्यक्ष)

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन ग्रेड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	
44	राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	00	00	00	00	01	स्थायी
45	पंचायती राज सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	00	00	00	00	01	स्थायी
46	वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	00	00	00	00	01	स्थायी
47	उ०प्र० राज्य पुरातत्व निदेशालय	आशुलिपिक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	00	00	00	00	01	स्थायी
48	अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	--	04	00	04	--	08	अस्थायी
49	समान कल्याण विभाग निदेशालय	आशुलिपिक (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	--	03	00	04	--	07	स्थायी / अस्थायी
50	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	आशुलिपिक (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200, वेतन ग्रेड: 1 ग्रेड-4: 2800	--	03	00	00	--	03	स्थायी
51	लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	--	01	00	02	--	03	स्थायी व अस्थायी
52	परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ	आशुलिपिक (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	--	02	00	01	--	03	स्थायी व अस्थायी
53	पशुपालन निदेशालय	आशुलिपिक (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	--	02	00	01	--	03	स्थायी

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैंड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	
54	रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आगुलितिक (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	--	01	00	02	--	03	स्थायी / अस्थायी
55	निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय	आगुलितिक (विशेष चयन)	लेवल-5 वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200, ग्रेड-पे: 2800	--	02	00	01	--	03	स्थायी न अस्थायी
56	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ	आगुलितिक (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	--	01	00	01	--	02	स्थायी
57	प्रशिक्षण प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, 30930, लखनऊ	आगुलितिक (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	--	01	00	01	--	02	स्थायी
58	राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उत्तर प्रदेश	आगुलितिक (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	--	01	00	01	--	02	स्थायी
59	आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आगुलितिक (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	--	01	00	01	--	02	स्थायी
60	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग निदेशालय	आगुलितिक (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200	--	01	00	01	--	02	स्थायी
61	मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	आगुलितिक (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 वेतन बैंड-1, वेतन मान रु० 5200- 20200, ग्रेड-पे रु० 2800	--	01	00	01	--	02	स्थायी
62	जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया	आगुलितिक (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	--	01	00	00	--	01	अस्थायी

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैंड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	
63	राजस्न परिषद, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम)- 29200, वेतनमान (अधिकतम)- 92300, ग्रेड वेतन ₹ 2800/-	--	01	00	00	--	01	स्थायी
64	उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज	आशुलिपिक (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200, वेतन बैंड-1, ग्रेड पे: 2800/-	--	01	00	00	--	01	स्थायी
65	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक (विशेष चयन)	लेवल-5 वेतनमान (न्यूनतम) 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	--	01	00	00	--	01	स्थायी
66	न्यायालय/ कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	--	01	00	00	--	01	स्थायी
67	प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भट्टा) विश्वविद्यालय, प्रयागराज	आशुलिपिक (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200, वेतन बैंड: 1 ग्रेड- पे: 2800	--	01	00	00	--	01	अस्थायी
68	उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, बान्पुर	आशुलिपिक (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	--	01	00	00	--	01	स्थायी
69	वित्तीय प्रबंधन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	--	01	00	00	--	01	स्थायी
कुल पद				321	155	14	125	46	661	

(Signature)

सारणी-2

कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षेत्रीय आरक्षण का विवरण

क्षेत्रीय आरक्षण का विवरण											
क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्वयं संग्राम सेनानी के आशित	दिव्योपकरण / पद संख्या व विभाग द्वारा चिह्नित उप श्रेणियाँ					सैन्य विधेयित / भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) अक्षर और श्रवण शक्ति में हानि	(ग) प्रभारित/अंगकृत, अंगकृत कुल, बोनस, एंजिस्ट आक्रमण घोटित और यास्वैरीय दुष्प्रेषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वरासम्पत्ति, शैक्षिक निःशक्तता, निरिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ङ) चण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुत निःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में अधिक-अधिका सम्मिलित है (MID)			
1	संजय कर आयुक्त कार्यालय	आशुलिपिक	03	04 (B., L.V.)	--	03 (O.A., B.L., A.A.V., Dw.)	--	--	08	35	03
2	उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, 30प्र0, कानपुर	आशुलिपिक	02	02 (B., L.V.)	02 (H.H.)	01 (O.L., Dw., A.A.V., L.C.)	--	--	06	26	02
3	खाद्य एवं रसद विभाग (आपूर्ति शाखा)	आशुलिपिक	01	--	--	--	--	--	02	10	01
4	खाद्य एवं रसद विभाग (विपणन शाखा)	आशुलिपिक	00	--	--	--	--	--	01	06	00
5	ग्रामीण अभिव्यंजन विभाग निदेशालय	आशुलिपिक	00	00 (B., L.V.)	--	01 (O.L., B.L., Dw., A.A.V.)	--	--	01	05	00
6	लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	00	--	00 (H.H.)	00 (O.A., O.L.)	--	--	00	02	00
7	निदेशालय उद्यान प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	00	00 (B., L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A., O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	02	00
8	राजकीय महाविद्यालय/ राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय/ क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय	आशुलिपिक	00	00 (L.V.)	--	00 (B.L., O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	02	00

क्षेत्रीय आरक्षण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्वतंत्र संस्थान के अंतर्गत	दिव्योपजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हित/विहित उप श्रेणियाँ					सैन्य विद्योपजन / पूर्व सैनिक	महिला	अन्य श्रेणियाँ
				(क) कुल संख्या एवं अन्य श्रेणियाँ	(ख) बर्षा और शक्ति में ह्रास	(ग) प्रचालनीय अंगण, उपचारित कुष्ठ, मौखिक, एमिड आक्रमण, रीढ़ और मांसपेशीय दुर्घटना सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निरक्षरता	(घ) स्तम्भकर्म, बौद्धिक निरक्षरता, निमित्त अभिमान निरक्षरता और मानसिक असमर्थता	(ङ) बान्ध (क) से (ग) के अर्धीय आगे वाले व्यक्तियों में से नव निरक्षर, जिसके अन्तर्गत कृषक निरक्षरता के लिए अभिज्ञानित पदों में वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हैं (MD)			
9	मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश	आशुतिषिक	00	00 (B., L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	02	00
10	राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उत्तर प्रदेश	आशुतिषिक	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A., O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	02	00
11	अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुतिषिक	00	00 (B., L.V.)	--	00 (O.L., B.L.)	--	--	00	02	00
12	नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुतिषिक	00	--	--	--	--	--	00	01	00
13	भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश	आशुतिषिक	00	--	00 (H.H.)	00 (O.A., O.L.)	--	--	00	01	00
14	निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय	आशुतिषिक	00	--	--	--	--	--	00	01	00
15	महिला कल्याण निदेशालय	आशुतिषिक	00	00 (B., L.V.)	00 (D., H.H.)	00 (O.A., O.L., Dw.)	--	--	00	01	00
16	महात्मा गांधी काशी विश्वपीठ, वाराणसी	आशुतिषिक	00	00 (L.V.)	--	00 (B.L., O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	01	00
17	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	आशुतिषिक (मुख्यालय)	00	--	--	--	--	--	00	01	00

(Signature)

क्षेत्रीय आरक्षण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्वयं सहाय सेवा के अंतर्गत	दिव्यांगजन / पद संरक्षण व विभाग द्वारा चिन्हित उप-श्रेणियाँ					सैन्य विशेषज्ञ / अनुपम सैनिक	महिला	अन्य विशेषज्ञता हेतु
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) श्रवण और शक्ति में ह्रास	(ग) प्रवाहिकता अंगमाह, उपचारित कुष्ठ, बीजाणु, एचआईवी/एड्स और वास्तविक दुर्घटना सहित चलने के लिए सम्भव नि.शक्तता	(घ) स्तम्भारोहण, मोटरिक नि.शक्तता, विशिष्ट अप्रिय नि.शक्तता और मानसिक असमर्थता	(ङ) चर्म (क) व (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु नि.शक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नि.शक्तता के लिए अभिलेखित पदों में अधि-अंश सम्मिलित है (MD)			
18	उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज	आशुतिपिक (मुख्यालय)	00	00 (L.V.)	--	00 (B.L., O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	01	00
19	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुतिपिक	00	00 (B., L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A., O.L., L.C., C.P., Dw., A.A.V.)	--	--	00	01	00
20	वीन व्याल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	आशुतिपिक	00	00 (L.V.)	--	00 (B.L., O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	01	00
21	महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आनंदगढ़	आशुतिपिक	00	00 (L.V.)	--	00 (B.L., O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	01	00
22	मुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी	आशुतिपिक	00	00 (L.V.)	--	00 (B.L., O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	01	00
23	पशुपालन निदेशालय	आशुतिपिक	00	--	--	--	--	--	00	00	00
24	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	आशुतिपिक	00	00 (L.V.)	--	00 (B.L., O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	00	00
25	मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	आशुतिपिक	00	00 (L.V.)	00 (D., H.H.)	00 (O.A., O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	00	00
26	रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुतिपिक	00	--	--	00 (O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	00	00
27	स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन (ग्रामीण)	आशुतिपिक	00	00 (L.V.)	--	00 (O.L., B.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	00	00

क्षेत्रीय आरक्षण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्वयं संघस्य सेवारी के अधिकार	दिनांक जन्म / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित त्रय श्रेणियाँ					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	अन्य शिल्लकियाँ हेतु
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में कमी	(ग) प्रभारितकर्म अंगव्यक्त, अचरित कुल, भौतिक, एमिड आरक्षण पीडित और मानसिक दुर्बलता सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निशक्तता	(घ) स्नायुतन्त्रिका, नैदानिक निशक्तता, निमित्त अभिगम निशक्तता और मानसिक अक्षमता	(ङ) खण्ड (क) से (ग) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निशक्तता के लिए अभिज्ञात पदों में बधिर-अंधा सम्मिलित है (MD)			
28	निदेशालय कौषागर, उत्तर प्रदेश	आशुतिपिक	00	--	--	--	--	--	00	00	00
29	मत्स्य निदेशालय	आशुतिपिक	00	00 (B., L.V.)	--	--	--	--	00	00	00
30	जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया	आशुतिपिक	00	00 (L.V.)	--	00 (B.L., O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	00	00
31	विधिक माप विज्ञान विभाग	आशुतिपिक	00	00 (L.V.)	--	00 (O.A., O.L., Dw.)	--	--	00	00	00
32	वित्तीय योजना और संसाधन निदेशालय	आशुतिपिक	00	--	--	--	--	--	00	00	00
33	निदेशालय जनजाति विकास, उत्तर प्रदेश	आशुतिपिक	00	--	--	--	--	--	00	00	00
34	पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुतिपिक	00	--	--	--	--	--	00	00	00
35	संस्कृति निदेशालय	आशुतिपिक	00	--	--	--	--	--	00	00	00
36	प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भव्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज	आशुतिपिक	00	00 (L.V.)	--	00 (B.L., O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	00	00
37	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग	आशुतिपिक	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	00	00
38	उत्तर प्रदेश पुलिस आपास निगम लिमिटेड, लखनऊ	आशुतिपिक	00	--	--	00 (O.A., O.L., Dw., A.A.V.)	--	--	00	00	00

(Signature)

B

/

क्षेत्रीय आरक्षण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	सब-संग्रह सेनानी के आश्रित	दिवांगमन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिह्नित/कित उप श्रेणियाँ					अन्य विवरण / अनुपूर्व सैनिक	प्रशिक्षण	अनुसूचित जाति/प्रायः
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) अक्षर ज्ञान शक्ति में कमी	(ग) उपनिवेशीय अंगभूत, जनजाति कुल, वीरचर, सुनिष्ठ आक्रमण पीड़ित और मातृप्राय वृद्धोपसहित परलप कित्ता सामाजिक नि:शक्तता	(घ) सम्प्राप्यता, वीरचर, नि:शक्तता, निविष्ट अभिगम नि:शक्तता और मानसिक असमर्थता	(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुत नि:शक्तता, निरक्षर, अनपठित प्रत्येक नि:शक्तता के लिए अभिगमिता पदों में वधि. अंगभूत सम्मिलित है (MD)			
39	सहायक सचिव एवं पंचायत, लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	00	--	--	--	--	--	00	00	00
40	अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	00	00 (B., L.V.)	--	00 (O.L., B.L., Dw.)	--	--	00	00	00
41	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	00	00 (L.V.)	--	00 (O.L., B.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	00	00
42	सर्वे कमिश्नर वक्फ, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	00	--	--	--	--	--	00	00	00
43	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ	आशुलिपिक	00	--	--	--	--	--	00	00	00
44	राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज	आशुलिपिक	00	--	--	--	--	--	00	00	00
45	पंचायती राज लेखा निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A., Dw.)	--	--	00	00	00
46	वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक	00	--	--	--	--	--	00	00	00
47	उपराज्य पुरातत्व निदेशालय	आशुलिपिक	00	--	--	--	--	--	00	00	00
48	अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक (विशेष चयन)	00	00 (B., L.V.)	--	00 (O.L., B.L.)	--	--	00	01	00

(Signature)

क्षेत्रीय आरक्षण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पाठनाम	स्वतंत्र संस्था के अंतर्गत	दिन्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिह्नित उप श्रेणियाँ					सैन्य नियोजित / अनुपूर्व सैनिक	सदिला	अनुसूचित जाति/प्रादेशिक
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) श्रवण और शक्ति में कमी	(ग) प्रगतिशील अंगवत, अवशिष्ट कुंठ, बौद्धिक, एडिड आक्रमण, सीमित और सांख्यिकीय दुर्गोच्य सहित चलन किया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वरूपकता, नोटिक निःशक्तता, चिह्नित अभिव्यक्ति निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ङ) सध्द (क) से (ग) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से अनु निःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में यथि अंगवत सम्मिलित है (MID)			
49	समान चल्चान विभाग निदेशालय	आशुलिपिक (विशेष चयन)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A., O.L., Dw., A.A.V.)	--	--	00	01	00
50	लखनऊ विद्यविद्यालय, लखनऊ	आशुलिपिक (विशेष चयन)	00	00 (L.V.)	--	00 (B.L., O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	00	00
51	लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक (विशेष चयन)	00	--	00 (H.H.)	00 (O.A., O.L.)	--	--	00	00	00
52	परिवार कल्याण महा निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ	आशुलिपिक (विशेष चयन)	00	00 (B., L.V.)	--	00 (O.L., B.L., Dw., A.A.V.)	--	--	00	00	00
53	पशुपालन निदेशालय	आशुलिपिक (विशेष चयन)	00	--	--	--	--	--	00	00	00
54	रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक (विशेष चयन)	00	--	--	00 (O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	00	00
55	निदेशक, स्थानीय विधि लेखा परीक्षा निदेशालय	आशुलिपिक (विशेष चयन)	00	--	--	--	--	--	00	00	00
56	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ	आशुलिपिक (विशेष चयन)	00	--	--	00 (O.A., O.L., Dw., A.A.V.)	--	--	00	00	00
57	प्रशिक्षण प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, 3090, लखनऊ	आशुलिपिक (विशेष चयन)	00	00 (B., L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A., O.L., A.A.V., B.L., Dw., L.C.)	--	--	00	00	00
58	राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उत्तर प्रदेश	आशुलिपिक (विशेष चयन)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A., O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	00	00

क्षेत्रीय आरक्षण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	रजब सहाय सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हित उप श्रेणियाँ				वैयक्तिक विवरण / अनुपूर्व सेनिक	महिला	अनुसूचित जाति/प्रायः
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बर्धन और शक्ति में ह्रास	(ग) अक्षरहीनता अंगमारी, अंगमारी कुल, मोबाइल, एलिस आक्रमण पेशी और मानसिक रूप से गंभीरता सहित चलन किया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वयंसेवकता, वैयक्तिक निःशक्तता, विविध अक्षर निःशक्तता और मानसिक असुविधा			
59	आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुतिपिक (विशेष चयन)	00	--	--	--	--	00	00	00
60	ग्रामीण अभिवर्धन विभाग निदेशालय	आशुतिपिक (विशेष चयन)	00	00 (B., L.V.)	--	00 (O.L., B.L., Dw., A.A.V.)	--	00	00	00
61	मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	आशुतिपिक (विशेष चयन)	00	00 (L.V.)	00 (D., H.H.)	00 (O.A., O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	00	00	00
62	जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया	आशुतिपिक (विशेष चयन)	00	00 (L.V.)	--	00 (B.L., O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	00	00	00
63	राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश	आशुतिपिक (विशेष चयन)	00	00 (B., L.V.)	--	00 (O.L., Dw., L.C., A.A.V.)	--	00 (M.D.)	00	00
64	उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज	आशुतिपिक (विशेष चयन)	00	00 (L.V.)	--	00 (B.L., O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	00	00	00
65	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	आशुतिपिक (विशेष चयन)	00	00 (L.V.)	--	00 (O.L., B.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	00	00	00
66	न्यायालय कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश	आशुतिपिक (विशेष चयन)	00	00 (B., L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.L., B.L., C.P., L.C., Dw., A.A.V.)	--	00	00	00
67	प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज	आशुतिपिक (विशेष चयन)	00	00 (L.V.)	--	00 (B.L., O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	00	00	00

क्षेत्रीय आरक्षण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्थल संघाग सेवानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हित उप श्रेणियाँ					सैन्य विधायित्व / पूर्व सैनिक	महिला	अकुल वित्तादिव्यो हेतु
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) श्रवण और शक्ति में हास	(ग) उपरिजिहकीय अंगभङ्ग, अन्वर्गित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मानसिकीय दुष्प्रयोग सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निराक्षरता	(घ) स्वप्राप्यता, चैदिक निराक्षरता, निरक्षर अक्षिण्य निराक्षरता और मानसिक अस्वास्थ्य	(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आवे वाले व्यक्तियों में से बहु निराक्षरता, निरक्षर अक्षिण्य प्रत्येक निराक्षरता के लिए अधिप्राप्ति पत्र में बधिर, अंगभङ्ग सम्मिलित है (MD)			
68	उत्तर प्रदेश वस प्रोद्योगिकी संस्थान, कानपुर	आरुतिपिक (विशेष चयन)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	00	00
69	वितीय प्रबंधन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश	आरुतिपिक (विशेष चयन)	00	--	--	--	--	--	00	00	00
कुल पद			06	06	02	05	--	--	18	107	06

दिव्यांगता की श्रेणी/ उपश्रेणी से सम्बन्धित विवरण

- B. (बी)- Blind (दृष्टिहीनता)
- L.V. (एलवी0)-Low Vision (कम दृष्टि)
- D. (डी0)- Deaf (बधिर)
- H.H. (एचएच0)- Hard of Hearing (श्रवण शक्ति में हास)
- O.A. (ओए0)- One Arm Affected (एक हाथ प्रभावित)
- O.L. (ओएल0)- One Leg Affected (एक पैर प्रभावित)
- B.L. (बीएल0)- Both Legs Affected (दोनों पैर प्रभावित)
- C.P. (सीपी0)- Cerebral Palsy (प्रमस्तिष्क घात)
- L.C. (एलसी0)- Leprosy Cured (रोगमुक्त कुष्ठ)
- Dw. (डीडब्ल्यू0)- Dwarfism (बौनापन)
- A.A.V. (एओवी0)- Acid Attack Victims (एसिड आक्रमण पीड़ित)
- M.D. (एमडी0)- Multiple Disabilities (बहुदिव्यांगता)

5- आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान -

- 5.1- 30 प्र० की अनुसूचित जातियों, 30 प्र० की अनुसूचित जनजातियों, 30 प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/ विभाग से प्राप्त अध्याचन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा ।

(Signature)

B

(Signature)

- 5.2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section- EWS) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय रुपये 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (EWS) अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के आवेदकों द्वारा उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5.3- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (Dependant of Freedom Fighter- DFF) तथा भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।
- 5.4- उत्तर प्रदेश शासन दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021/78/99 टी०सी०, दिनांक 30 जुलाई, 2021, शासनादेश संख्या-02/2022/1/246279/2022 /File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022 एवं शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58/2022, दिनांक 30-09-2024 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगता की चिह्नित श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु निर्धारित आरक्षण अनुमन्य होगा।
- 5.5- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बंधित है। उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 5.6- उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-3/47/का-2/2022, दिनांक 07-01-2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 के प्राविधानानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों (Outstanding Sportsperson) हेतु 02 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य होगा।

(Signature)

8

1

6 - अर्हता-

अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-2016), दिनांक 06 जून, 2014 के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं-

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो।

(दो) हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है।

(तीन) डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा संचालित सी0सी0सी0 पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण की हो।

या

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण की हो।

अधिमानी अर्हता-

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-2016), दिनांक 06 जून, 2014 के भाग-4 नियम-11 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने-

1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

7- आयु -

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवानियमावली, 2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-2016), दिनांक 06 जून, 2014 के भाग-4 नियम-12 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, पहली जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

नोट- उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0 के नियमित कार्मिकों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

8- चयन का आधार -

8.1- प्रश्नगत पदों पर चयन उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-32/2015/857/47-का-2015-13/19/2015, दिनांक 11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह-ग के पदों के सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली 2015, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक 20-11-2020 द्वारा अपनायी गयी नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा





प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में सम्मिलित हुआ हो) तथा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवानियमावली-2014 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-2016), दिनांक 06 जून, 2014 के अनुसार किया जाएगा। तदनुसार आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

8.2- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवानियमावली-2014, दिनांक 06 जून, 2014 के नियम-10 के प्राविधानों के अनुसार अभ्यर्थियों की हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है, जिसके परीक्षण हेतु परीक्षा के द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों की हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि अर्हकारी प्रकृति की होगी।

9- लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम-

विज्ञापन संख्या-13-परीक्षा/2024, आशुलिपिक मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/13 के अंतर्गत आशुलिपिक के रिक्त पदों पर चयन हेतु कार्मिक अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-702/47-का-3-2023, दिनांक 29-11-2023 द्वारा अनुमोदित लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञापन के साथ संलग्न है। प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा की तिथि के सम्बन्ध में यथासमय पृथक से सूचित किया जायेगा।

10-लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

विज्ञापन संख्या-13-परीक्षा/2024, आशुलिपिक मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/13 के अंतर्गत आशुलिपिक के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों, अंतिम कटऑफ अंक/परसेंटाइल स्कोर (दशमलव के 02 स्थान तक) धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए, को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जाएगा।

यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों/ दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी।

11-अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

- 11.01- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
- 11.02- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।
- 11.03- अभ्यर्थी, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।
- 11.04- भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) (जो आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 25-01-2025 तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम

(Signature)

- सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।
- 11.05- उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 11.06- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री, स्वयं उसे अथवा उसके परिवार को सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करने की दशा में ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसके जाति प्रमाण पत्र में उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, को इस आरक्षण का लाभ उसके पिता पक्ष की ओर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही अनुमन्य होगा।
- 11.07- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।
- 11.08- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग-2 के शासनादेश सं०-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18-04-2022 द्वारा निर्धारित अद्यतन प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।
- 11.09- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा।
- 11.10- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ०प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2-ई.एम./2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु-सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
- 11.11- अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 11.12- उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं।
- 11.13- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2/2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लम्बवत श्रेणी में उन्ही श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित है, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 11.14- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय रुपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-

- 1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (E.W.S) अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनसे अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2024 से 25-01-2025 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 11.15- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 11.16- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति को मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 11.17- परीक्षा की तिथि, समय तथा परीक्षा केन्द्र आदि के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र, तिथि व समय में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न करें।
- 11.18- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 11.19- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- 11.20- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती थी अथवा तत्सम्बन्धित प्रमाण पत्र धारित नहीं किया जाता था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उक्त स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 11.21- कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने/कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- 11.22- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है अतः सभी परीक्षार्थियों/ अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबन्धित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।
- 11.23- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।
- 11.24- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) करने का अधिकार आयोग का होगा।





- 11.25- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा आयोग की वेबसाइट <http://upsssc.gov.in> के माध्यम से अथवा किसी भी कार्य दिवस में आयोग कार्यालय में संपर्क कर अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- 11.26- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।
- 11.27- अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।
- 11.28- अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस संबन्ध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा।


सचिव,

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।







विज्ञापन संख्या-13-परीक्षा/2024, आशुलिपिक मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/13 से सम्बन्धित
परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

संख्या-702/47-क-3-2023

प्रेमक

राम आसारे राम,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

सचिव,

उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,

लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3

तखनऊ : 29/11/2023

विषय-उ०प्र० सरकार के अधीन विभिन्न विभागों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों/निगमों
के आशुलिपिक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा
की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति/अनुमोदन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-615/49/चार/आयोग/2019, दिनांक 10.11.2023 का
कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आशुलिपिक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों
पर चयन हेतु प्रस्तावित लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना
दिनांक 11.05.2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह-‘ग’ के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति
और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के नियम-8(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत आशुलिपिक पद
की प्रस्तावित लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान
की जाती है:-

आशुलिपिक के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम:-

प्रथम चरण (लिखित परीक्षा):-

प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि दो घण्टा होगी।
परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। लिखित
परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्राविधान है, जो उस
प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात् ¼ होगी।

लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना

परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समयावधि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार
होगा-

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समयावधि
भाग-1	हिन्दी परिज्ञान और लेखन योग्यता	30	30	

(Signature)

8

X

भाग-2	सामान्य बुद्धि परीक्षण	15	15	120 मिनट (दो घण्टा) की अवधि का संयुक्त प्रश्न भाग
भाग-3	सामान्य जानकारी	20	20	
भाग-4	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में सामाजिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान	15	15	
भाग-5	उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी	20	20	
योग		100	100	

नोट- उपर्युक्त परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्राविधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात् ¼ होगी।

लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

भाग-1 हिन्दी परिज्ञान और लेखन योग्यता-

उम्मीदवारों से हिन्दी भाषा का ज्ञान तथा उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे। (यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० के इण्टरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा)

भाग-2 सामान्य बुद्धि परीक्षण-

इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति के समझने उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने तथा तर्क करने की योग्यता को मापना है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं तथा संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की वैदिक क्रियाओं पर आधारित होंगे।

भाग-3 सामान्य जानकारी-

प्रश्न पत्र का यह भाग उम्मीदवारों की चारों ओर के वातावरण के बारे में उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता के आंकने के लिए है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न भी रखे जायेंगे जिनसे ऐसी सामाजिक घटनाओं तथा प्रतिदिन इतिहास होने तथा अनुभव में आने वाले तथ्यों जिनमें ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य भी सम्मिलित हो सकते हैं। (विशेष कर भारत से संबंधित) एवं उनके वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान आँक जा सके, जिससे किसी भी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है।

भाग-4 कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में सामाजिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान-

- कम्प्यूटर, सूचना तकनीकी, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग
- निम्नलिखित बिन्दुओं सम्बन्धी सामान्य ज्ञान
 - I. हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर
 - II. इनपुट एवं आउटपुट







III. इन्टरनेट पोलेबल/आईओपीएट्स

IV. आईओपीएट मैनेज एवं उनका अनुप्रयोग

V. ई-मेल आईओपीएट को बनाना एवं ई-मेल का प्रयोग/संचालन

VI. प्रिंटर, टेबलेट एवं मोबाइल का संचालन

VII. वर्ड प्रोसेसिंग (MS-Word) एवं एक्सेल प्रोसेसिंग (MS-Excel) के महत्वपूर्ण तत्व

VIII. ओपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई-गवर्नेंस

- डिजिटल विधीय उपकरण और अनुप्रयोग
- भविष्य के कौशल और सफ़र सुरक्षा
- कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं तवाचार (आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स, बिग डेटा प्रोसेसिंग, क्लाउड लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स) तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ आदि।

भाग-5 उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी:-

प्रश्न पत्र के इस भाग से उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश के इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, न्योहर, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएँ, धरातल, सामाजिक रीति-रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राजव्यवस्था एवं प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियाँ आदि पर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे।

द्वितीय चरण (आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा):-

लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों की आशुलेखन एवं टंकण दक्षता परीक्षण हेतु द्वितीय चरण में आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा आयोजित की जायेगी। प्रश्नगत परीक्षा कम्प्यूटर/लैपटॉप पर होगी, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। केवल ऐसे अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जायेगा, जिन्होंने यथास्थिति आशुलेखन एवं टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो (हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है)। आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

भवदीय
Digitally Signed by राम
अशोक आसरे राम)
राम सचिव
Date: 29-11-2023 17:03:14
Reason: Approved

(Signature)

8

X

परिशिष्ट

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला.....

जारी

दिनांक.....

तहसील.....

आवेदन क्रमांक.....

प्रमाण पत्र क्रमांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि..... पुत्र/पुत्री..... माता का नाम..... निवासी..... ग्राम..... तहसील..... जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की..... जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश, १९५० (जैसा कि समय समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश, १९६७ के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रारूप में मान्यता दी गयी है।

..... तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के..... ग्राम- तहसील..... में सामान्यता रहता है।

क्यू आर
कोड

जारी कर्ता केन्द्र.....

पद.....

स्थान.....

दिनांक.....

सक्षम अधिकारी/ तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित.....

दिनांक.....

(Signature)

1

✓

परिशिष्ट

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला.....

जारी दिनांक.....

तहसील.....

आवेदन क्रमांक.....

प्रमाण पत्र क्रमांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि..... पुत्र/पुत्री..... माता का नाम.....
निवासी.....ग्राम.....तहसील.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की..... जाति
के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश, १९५० (जैसा कि समय समय पर संशोधित हुआ)
संविधान (अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश, १९६७ के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रारूप में
मान्यता दी गयी है।

.....तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के..... ग्राम-तहसील.....
में सामान्यता रहता है।

क्यू आर
कोड

जारी कर्ता केन्द्र.....

पद.....

स्थान.....

दिनांक.....

सक्षम अधिकारी/ तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित.....

दिनांक.....

Group

↓

↓

परिसिद्ध

उत्तर प्रदेश के पिछड़े जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला.....
 दिनांक.....
 तहसील.....
 आवेदन क्रमांक.....
 प्रमाण पत्र क्रमांक.....

जारी

प्रमाणित किया जाता है कि..... पुत्र/पुत्री..... माता का नाम..... निवासी..... ग्राम..... तहसील..... जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की..... जाति के व्यक्ति हैं, यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि..... पूर्वाक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या २२/१६/९२ टी० सी० III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित रूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।

क्यू आर
कोड

जारी कर्ता केन्द्र.....
 पद.....
 स्थान.....
 दिनांक.....

सक्षम अधिकारी/ तहसीलदार
 डिजिटल हस्ताक्षरित.....
 दिनांक.....

(Signature)

9

X

(प्रपत्र- 1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या..... दिनांक.....

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी

पुत्र/ पति/ पुत्री नाम/ पत्नी.....

पोस्ट ऑफिस थाना

तहसील जिला राज्य

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिसका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/ श्रीमती/ कुमारी जाति

के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।



हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी
मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।

(Signature)

9

✓

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती----- निवासी ग्राम-----

तहसील-----

नगर-----

जिला----- "उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993" के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) ----- पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरोक्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) ----- के आश्रित हैं।

स्थान-

दिनांक-

हस्ताक्षर-----

पूरा नाम-----

पदनाम-----

मुहर-----

जिलाधिकारी (सील)

(Signature)

8

1

दिव्यांगता प्रमाण पत्र सम्बन्धी प्रारूप

Form-II

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority Issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only)
of the person with
disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum.
son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth
(DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____ registration No.
_____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street
_____ Post Office _____ District _____ State _____
whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is _____

(A) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent locomotor
disability/dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines
(.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate .

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr. _____)

Member
Medical Board with seal

(Dr. _____)

Member
Medical Board with seal

(Dr. _____)

Chairperson
Medical Board with seal

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person in
whose favour certificate of
disability is issued

(Signature)

8

X

Form - III
Certificate of Disability
(In cases of multiple disabilities)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only)
of the person with
disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum.
_____ son/wife/daughter of Shri
_____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age
_____ years, male/female _____

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____
Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State _____

_____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of, permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			

Chiranjiv

8

X

17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows :-

In figures :- percent

In words :- percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till ----

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person
in whose favour
certificate of disability is
issued

(Signature)

(Signature)

(Signature)

Form -IV
Certificate of Disability
(In cases other than those mentioned in Forms II and III)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(showing face only) of
the person with
disability.

Certificate No. _____ Date: _____
This is to certify that I have carefully examined
Shri/Smt/Kum _____

son/wife/daughter of Shri _____
Date of Birth (DD/MM/YY) _____
Age _____ years, male/female _____ Registration No. _____
permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____
Post Office _____ District _____ State _____
whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of

disability. His/her extent of percentage physical
impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the
guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after _____ years _____ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) _____

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

- eg. Single eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
-------------------------	-------------------------	----------------------------------

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person
in whose favour
certificate of disability is
issued